

दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	मियाद
1.	पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स (पी.जी.डी.सी.)	52 सप्ताह
2.	अक्षय ऊर्जा और ग्रिड इंटरफेस प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स (पी.जी.डी.सी.)	52 सप्ताह
3.	विद्युत वितरण और उभरती प्रौद्योगिकियों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.)	52 सप्ताह

एन.पी.टी.आई. (उत्तरी क्षेत्र), बदरपुर, नई दिल्ली

क्र.सं.	विशेष कार्यक्रम का नाम	मियाद
1.	भारत में फ्लोटिंग सोलर पीवी सिस्टम का विकास	1 सप्ताह
2.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी	1 सप्ताह
3.	नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड एकीकरण प्रौद्योगिकियां	1 सप्ताह
4.	स्मार्ट ग्रिड और आरई एकीकरण, ईई- जलवायु परिवर्तन	1 सप्ताह
5.	भारत में बीईएसएस /माइक्रो ग्रिड / मैक्रो ग्रिड	1 सप्ताह
6.	ऊर्जा लेखा परीक्षा और टी एंड डी सिस्टम में हानि में कमी	02 दिन
7.	खुली पहुंच और विचलन निपटान तंत्र	1 सप्ताह
8.	सरकार (ई-मार्केट) स्थान और खरीद प्रक्रिया और अनुबंध	1 सप्ताह
9.	टीपीएस के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी	02 दिन
10.	ग्राउंड केबलिंग सिस्टम के तहत	03 दिन
11.	लचीला बिजली संयंत्र संचालन	02 दिन

उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र (ए.आई.टी.डी.सी.), एन.पी.टी.आई.-एन.आर, बदरपुर, नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम

S.No I	कार्यक्रम का नाम	मियाद
1.	उन्नत प्रौद्योगिकियों पर एस.डी.ए., ई.एम.ए.ई.ए. और सी.ई.ए. पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
2.	सीमेंट क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
3.	वस्त्र क्षेत्र के उपायुक्तों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
4.	ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
5.	लुगदी और कागज क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
6.	रिफाइनरी क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
7.	डिस्कॉम क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन

8.	उर्वरक क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन
9.	लौह और इस्पात क्षेत्र के डीसी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 दिन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तारीखें ग्राहक और एन.पी.टी.आई. (एन.आर.) के बीच आपसी सहमति के अनुसार तय की जाएंगी।